भारतीय राजव्यवस्था और संविधान

भारतीय संविधान का ऐतिहासिक अवलोकन (विनियमन अधिनियम, चार्टर अधिनियम, भारत अधिनियम)

ब्रिटिश प्रशासन को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है, वह है

(1) कंपनी प्रशासन (1773-1857)
(2) क्राउन प्रशासन (1858-19 47)

निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिनियम, नियम और विकास हैं जो की वर्तमान भारतीय राजनीति के विकास की ओर अग्रसर हैं।

कंपनी प्रशासन अधिनियम विनियमन - 1773

(1) 'गवर्नर' का पद अब 'गवर्नर-जनरल' बनाया गया है और बंगाल ऐसा पहला प्रांत था जहा के पहले गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्हें चार सदस्यों की कार्यकारी परिषद ने सहायता प्रदान की।
(2) कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीशों के साथ हुई थी। सर एलीया इंपी मुख्य न्यायाधीश थे

पिट्स इंडिया एक्ट - 1784

(1) भारत में राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक और संगठन- 'नियंत्रण का बोर्ड' बनाया गया। हालांकि निदेशक मंडल को वाणिज्यिक मामलों के प्रबंध करने के लिए रखा गया ।
(2) इस प्रकार, कंपनियों के अधिकार को पहली बार 'भारत में ब्रिटिश अधिकार' नाम कहा गया और वाणिज्यिक शाखा का नेतृत्व निदेशक मंडल और राजनीतिक दल का नेतृत्व नियंत्रण मंडल कर रहे है।
(3) इस अधिनियम को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री विलियम पिट ने पेश किया था

चार्टर अधिनियम - 1813: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के एकाधिकार को समाप्त किया और अन्य कंपनियों को भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत दी।

चार्टर अधिनियम - 1833
(1) बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल पद बनाया गया। मद्रास और बॉम्बे की अध्यक्षताएं विधायी शक्तियों के साथ उनसे ले ली गयी और कलकत्ता की अध्यक्षता के अधीन कर दिया गया। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे।

byjusexamprep.com

(2) इस अधिनियम ने पूरी तरह से कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। कंपनी अस्तित्व में थी, लेकिन यह एक विशुद्ध प्रशासनिक और राजनीतिक संगठन बन गई थी।

चार्टर अधिनियम - 1853

(1) एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की गयी।
(2) भारतीयों के लिए सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता प्रणाली का परिचय किया गया। इस उद्देश्य के लिए मैकाले समिति का गठन हुआ (1854) सत्यसेन नाथ टैगोर 1863 में उस सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय बन गए।
(3) नोट - भारत में सिविल सेवा के पिता - लॉर्ड चार्ल्स कोनवलिस क्योंकि उनके भारत में नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण के प्रयासों के कारण।

क्राउन प्रशासन
1858 भारत सरकार अधिनियम

(1) इसे भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।
(2) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया मुगल प्रशासन को भी समाप्त कर दिया गया।
(3) गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और एक नया पोस्ट वायसरॉय बनाया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनाये गये।
(4) इसके अलावा भारत के लिए सचिव-राज्य बनाया गया और इनकी मदद के लिए 15-सदस्यीय परिषद बनायीं गयी। यह सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे।

भारतीय परिषद अधिनियम 1861

(1) वाइसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। कुछ भारतीयों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित करने के लिए उनके लिए प्रावधान किए गए। लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नामांकित किया।
(2) बंगाल के लिए नई विधान परिषदें (1862), उत्तरपश्चिमी सीमावर्ती प्रांत (1866) और पंजाब (1897) की स्थापना हुई।

भारतीय परिषद अधिनियम 1892

(1) तत्कालीन भारत में बजट चर्चा का अधिकार विधायी परिषद को दिया गया।
(2) बढाई गयी परिषदों और कुछ सदस्यों को केंद्र क साथ साथ प्रांतीय विधान परिषद में नामांकित किया जा सकता है।

byjusexamprep.com

भारतीय परिषद अधिनियम 1909

(1) यह अधिनियम मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है।
(2) केन्द्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 की गयी।
(3) सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यकारी परिषद के लिए कानून सदस्य के रूप में नामांकित होने वाले पहले भारतीय बने।
(4) सांप्रदायिक मतदाता पेश किया गया था। मुस्लिमों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। इसलिए, मिंटो को 'सांप्रदायिक मतदाता के पिता' के रूप में भी जाना जाता है।

भारत सरकार अधिनियम 1919

(1) यह अधिनियम मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और यह 1921 में लागू हुआ था।
(2) यहा केन्द्रीय और प्रांतीय विषयों या सूचियों को पेश किया गया जहां वे अपने संबंधित सूचियों को कानून तैयार कर सकते थे। प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया गया था। इस प्रकार, इस अधिनियम ने दोहरा शासन की शुरुआत कि।
(3) द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए।

भारत सरकार अधिनियम 1935

(1) इकाइयों के रूप में प्रांतों और रियासतों के साथ अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गयी। महासंघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतों ने इसे शामिल नहीं किया था।
(2) प्रांतों में समाप्त हुई दोहरा शासन और इसके स्थान पर 'प्रांतीय स्वायत्तता' पेश की। लेकिन केंद्र में यह दोहरा शासन शुरू किया; हालांकि वह कभी भी अस्तित्व में नहीं आया था।
(3) साथ ही साथ उदास वर्गों के लिए अलग-अलग मतदाताओं के साथ-साथ प्रान्तों में द्विसदन भी शुरू किया।
(4) केंद्र में आरबीआई और एक संघीय अदालत की स्थापना की गयी।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

(1) विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) देश के विभाजन और आथली घोषणा (20 फरवरी 1947) को देश को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रभाव देना था।
(2) भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र आधिकारिक रूप से निर्मित किये गये, ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और अपने स्वतंत्र संविधानों को तैयार करने के लिए दो स्वतंत्र राष्ट्रों के घटक विधानसभा को अधिकृत किया।

byjusexamprep.com

(3) भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 18 जुलाई, 1947 को शाही सहमति मिली।

भारतीय संविधान का निर्माण (संविधान सभा और संविधान के स्रोत)

- यह एम.एन. रॉय थे जिसने 1934 में भारत के लिए एक स्वतंत्र सविंधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था।
- संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, 1946 द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। मिशन का नेतृत्व पेठिक लॉरेंस ने किया था और उनके अलावा दो अन्य सदस्य शामिल थे - स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी अलेक्जेंडर।
- विधानसभा की कुल संख्या 389 थी। हालांकि, विभाजन के बाद केवल 299 ही बने रहे। यह आंशिक रूप से चुने गए और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थे।
- विधानसभा बनाने के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए और नवंबर 1946 तक इस प्रक्रिया का कार्य पूरा हो गया। विधानसभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई और 211 सदस्य उपस्थित थे।
- डॉ सच्चिदानंद सिन्हा फ्रेंच अभ्यास के बाद विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष बने।
- 11 दिसंबर, 1946 को डॉ राजेन्द्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी को क्रमशः राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
- सर बी एन राव को विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया।
- 13 दिसंबर, 1946 को पं. नेहरू ने उद्देश्य के संकल्प को आगे बढ़ाया, जो बाद में संविधान का प्रस्तावना बन गया थोड़ा संशोधित रूप प्रस्ताव 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था।
- संविधान सभा ने मई, 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। साथ ही, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान स्वीकार कर लिया गया। 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
- 11 सत्रों के लिए विधानसभा की बैठक हुई, अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे, कुल में 141 दिन बैठे और 114 दिन के लिए प्रारूप संविधान पर विचार किया गया। कुल राशि 64 लाख रुपए के आसपास थी।
- विधानसभा में 15 महिला सदस्य थी जो विभाजन के बाद 9 हो गयी थी।
- घटक सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण समितियां अपने संबंधित अध्यक्षों के साथ इस प्रकार हैं:
    - केंद्रीय शक्ति कमेटी:- जवाहर लाल नेहरू

byjusexamprep.com

- संघीय संविधान समिति:- जवाहर लाल नेहरू
- प्रांतीय संविधान समिति:- सरदार पटेल
- प्रारूप समिति:- बी आर अंबेडकर
- प्रकिर्या नियम समीति:- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- संचालन समिति- डॉ। राजेन्द्र प्रसाद

निम्नलिखित प्रारूप समिति के सदस्य थे

- डॉ. बी आर अंबेडकर (अध्यक्ष)
- आलदी कृष्णस्वामी अय्यर
- डॉ. के एम मुंशी
- एन गोपालस्वामी अय्यंगार
- सैयद मोहम्मद सादुल्ला
- एन माधव राऊ
- टीटी कृष्णमाचारी

- संविधान का अंतिम प्रारूप 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था और इसमें 8 कार्यक्रम, 22 भाग और 395 लेख शामिल हैं।

byjusexamprep.com

- भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत
    - भारत सरकार अधिनियम 1935 - संघीय योजना, गवर्नर का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण।
    - ब्रिटिश संविधान - संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता
    - अमेरिकी संविधान - मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति के महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने और उपाध्यक्ष पद का पद
    - आयरिश संविधान - राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य सभा में सदस्यों के नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि।
    - कनाडाई संविधान - एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में शेष अवशेषों का निपटा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, और सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार क्षेत्राधिकार।
    - ऑस्ट्रेलियाई संविधान - समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और संभोग, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
    - जर्मनी के वीमर संविधान - आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
    - सोवियत संविधान (यूएसएसआर, अब रूस) - प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्यों और न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)
    - फ्रांसीसी संविधान - गणराज्य और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी के आदर्श।
    - दक्षिण अफ्रीकी संविधान - संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव।

जापानी संविधान - कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया

<u>भारत के संविधान की प्रस्तावना</u>

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी ,पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में,

byjusexamprep.com

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली, बन्धुता बढ़ाने के लिए,

दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधानसभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

- एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को 'संविधान का पहचान पत्र' कहा है।
- प्रस्तावना कुछ हद तक 'उद्देश्य संकल्प' पर आधारित है।
- प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। इस संशोधन में तीन शब्द - समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया।
- प्रस्तावना के चार अवयवों या घटकों से पता चलता है:
- संविधान के अधिकार का स्रोत: प्रस्तावना बताती है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है।
- भारतीय राज्य की प्रकृति: यह भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्रवादी राज्य के रूप में घोषित करता है।
- संविधान के उद्देश्य: भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाई-चारा प्रदान करना है।
- संविधान को अपनाने की तिथि: 26 नवंबर, 1949।
- बरुभाड़ी संघ मामला (1960) - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
- केशवानंद भारती मामला (1973) - सर्वोच्च न्यायालय ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।
- प्रस्तावना न तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध है। प्रस्तावना के प्रावधान कोर्ट ऑफ लॉ में लागू नहीं होते हैं, अर्थात यह गैर-न्यायसंगत है।

संघ और इसका क्षेत्र

- संविधान का भाग-1 अनुच्छेद 1 से 4 (संघ और उसके क्षेत्र) का वर्णन करता है।
- अनुच्छेद 1- भारत, अर्थात्, 'राज्यों के संघ' के रूप में भारत।
- अनुच्छेद 2- संसद को 'संघ में प्रवेश करने या स्थापित करने हेतु उचित नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को स्थापित करने हेतु सशक्त बनाता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 2 संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है: भारत संघ के नए राज्यों में प्रवेश करने की शक्ति; और नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति।
- अनुच्छेद 3- भारत के मौजूदा राज्यों के गठन या परिवर्तनों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 3 भारत के संघीय राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुन: समायोजन से संबंधित है।

byjusexamprep.com

नागरिकता

- संविधान भारत के नागरिकों पर निम्नलिखित अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रदान करता है (और ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है):
- (a)अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 द्वारा दिए गए अधिकार
- (b)लोकसभा और राज्य विधान सभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार।
- (c)संसद की सदस्यता और राज्य विधायिका के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।
- (d)कुछ सार्वजनिक कार्यालयों को धारण करने की योग्यता, जैसे की, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल और राज्यों के एडवोकेट जनरल आदि।
- अनुच्छेद 5-8 केवल उन व्यक्तियों की नागरिकता के लिए है जो संविधान के प्रारंभ में भारत के नागरिक बने। इसके अलावा, इन लेखों में आव्रजन (माइग्रेशन) के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है।
- कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जायेगा यदि वह स्वेच्छा से किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है (अनुच्छेद 9)।
- संसद द्वारा तैयार किए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन भारत के नागरिक होने को मानना या जो भी व्यक्ति माना जाता है, ऐसे लोग नागरिक बने रहेंगे (अनुच्छेद 10)।
- संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समापन के संबंध में किसी भी प्रावधान और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों को बनाने का अधिकार होगा (अनुच्छेद 11)।
- इसलिए, संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 में अधिनियमित किया, जिसे 1986 1992, 2003, और 2005 और हाल ही में 2015 में संशोधित किया गया है। संशोधन बिल 2016 अभी भी लंबित है।
- नागरिकता अधिनियम के अनुसार नागरिकता के अधिग्रहण के पांच तरीके हैं

(A) जन्म से
(B) वंश द्वारा
(C) पंजीकरण द्वारा
(D) प्राकृतिक्करण द्वारा
(E) भारतीय संघ में किसी अन्य क्षेत्र का अधिग्रहण करके

नागरिकता की हानि - समाप्ति, त्याग और स्थिरता है।

- भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है
- पी.आई.ओ- गृह मंत्रालय के तहत पी.आई.ओ कार्ड धारक के रूप में दिनांकित 19-08-2002 की योजना में पंजीकृत व्यक्ति ।
- ओ.सी.आई- नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारत के विदेशी नागरिक (ओ.सी.आई) के रूप में पंजीकृत व्यक्ति। ओ.सी.आई योजना दिनांक 02-12-2005 से संचालित हो रही है।

byjusexamprep.com

- अब दोनों योजनाओं का 9 जनवरी, 2015 से प्रभावी रूप से विलय कर दिया गया है।

मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य

मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12 से 35)

1. मौलिक अधिकारों को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है।

2. इस अवधारणा को अमेरिकी अधिकारों की सूची से लिया गया है। मूल अधिकारों के प्राचीन ज्ञात तथ्य प्राचीन भारत, ईरान आदि मे भी मौजूद थे।

3. मौलिक अधिकारों का यह नाम इसलिए है क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षित किया जाता है, जोकि राष्ट्र का मूलभूत नियम है। वे इस अर्थ में भी 'मौलिक' हैं कि वे व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक) के लिए सबसे ज़रूरी हैं।

4. मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार शामिल थे, हालांकि, 44 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद, संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया था और अब केवल छह मौलिक अधिकार हैं।

5. मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद निम्न हैं:

A. 12- राज्य की परिभाषा

B. 13- भाग -3 या मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून

6. मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित हैं:

C. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

- कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, (अनुच्छेद 14)
- धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान (अनुच्छेद 15) के आधार पर भेदभाव निषेध।
- सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, (अनुच्छेद 16)
- अस्पृश्यता का उन्मूलन और उसके अभ्यास का निषेध, (अनुच्छेद 17)
- सैन्य और शैक्षिक को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन, (अनुच्छेद 18)

D. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

(a) निम्नांकित की स्वतंत्रता से सम्बंधित छह अधिकारों का संरक्षण:

- भाषण और अभिव्यक्ति,
- विधानसभा,
- संघ,
- आंदोलन,
- निवास, और
- व्यवसाय (अनुच्छेद 19)

(b) अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20) ।

(c) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)

(d) प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 ए)

(e) कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण (अनुच्छेद 22)

byjusexamprep.com

E. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

(a) व्यक्तियों और मजबूर श्रमिकों के खरीद-फरोक्त पर रोक, (अनुच्छेद 23)

(b) कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक, (अनुच्छेद 24)

F. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

(a) धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता और धार्मिक संस्था के अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, (अनुच्छेद 25)

(b) धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)

(c) किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)

(d) कुछ शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)

G. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

(a) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, (अनुच्छेद 29)

(b) अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्था स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार, (अनुच्छेद 30)

H. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32) – संविधान की आत्मा ।

मौलिक अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय जाना जिसमे निम्न याचिकाए शामिल है:

(I) बन्दी प्रत्यक्षीकरण, (ii) परमादेश, (iii) निषेध, (iv) प्रमाणिकता, और (v) पृच्छा (अनुच्छेद 32) ।

- *बन्दी-प्रत्यक्षीकरण:* जिसका अर्थ है कि "आपके पास शरीर है"। इस रिट का इस्तेमाल निजी और सार्वजनिक दोनों प्राधिकरणों के खिलाफ गैरकानूनी हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किया जाता है।

- *परमादेश:* जिसका अर्थ है "हमारा आदेश है। इसका अर्थ है "हम आज्ञा देते हैं"। इस रिट का उपयोग अदालत द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहा है या जिसने अपने कर्तव्य को करने से इनकार कर दिया है, ताकि वह अपना काम फिर से शुरू कर सके। यह रिट निजी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध नहीं है।

- निषेध: इसका अर्थ है 'ऐसा करने से रोकना'। उच्चतर न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट तब जरी की जाती है जब कोई निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर किसी मुकदमें की सुनवाई करे या करता है तो इस स्थिति में उच्चमत न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसी निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय को अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी करती है।

- *उत्प्रेषण-लेख:* जिसका अर्थ 'सूचित करने के लिए' है। यह रिट एक निचली अदालत या न्यायाधिकरण के एक उच्चतर प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जो उन्हें या तो उनके द्वारा

byjusexamprep.com

लंबित एक मामले को स्वयं स्थानांतरित करने या एक मामले में उनके आदेश को स्क्राश करने का आदेश देता है। इसका उपयोग इलाज और रोकथाम दोनों के रूप में किया जाता है।

- *अधिकार-पृच्छा:* अधिकार पृच्छा का अर्थ है ' किसी अधिकार द्वारा'। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध रूप से उपयोग को रोकने के लिए यह रिट जारी करते हैं।

7. अनुच्छेद 33, संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के अधिकार से संबंधित है।
8. 34 मार्शल लॉ से सम्बंधित है।
9. अनुच्छेद 35, मूलभूत अधिकारों के सन्दर्भ में बने आवश्यक कानूनों से सम्बंधित है।
10. मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, वें हैं - 15, 16, 1 9, 2 9 और 30।
11. मौलिक अधिकार जो नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों को भी उपलब्ध हैं, वे हैं - 14, 20, 21, 21 ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

1. इन्हें भारतीय संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद (36-51) में उल्लेखित किया गया है।
2. इन्हें संविधान की नयी विशिष्टता (Novel Features) भी कहा जाता है।
3. ये आयरिश (Irish) संविधान द्वारा प्रेरित है।
4. ये भारत सरकार अधिनियम, 1935 में उल्लिखित निर्देशों के साधनों के समान है।
5. नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान का विवेक कहा जाता है।
6. 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' उन आदर्शों को दर्शाते है जिन्हें राज्य को कानून और नीतियां बनाते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए। यह विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें हैं।
7. 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक व्यापक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। वे संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के उच्च आदर्शों को साकार करने का लक्ष्य रखते हैं। वे 'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा का प्रतीक हैं।
8. निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं, अर्थात्, वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं। इसलिए सरकार (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय) को उन्हें लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। फिर भी, संविधान (अनुच्छेद 37) स्वयं ही कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।

9. निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जाता है-

byjusexamprep.com

(ए) समाजवादी सिद्धांत
(बी) गांधीवादी सिद्धांत
(सी) उदार बौद्धिक सिद्धांत

9. 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं:

न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक-द्वारा सामाजिक क्रमबद्धता हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, आर्थिक स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में असमानताओं को कम करना (अनुच्छेद 38) ।

- 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' अग्रलिखित बिन्दुओ को सुरक्षित करता है: - (a) सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार; (b) आम वस्तुयों के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण; (c) धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम; (d) पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन; (e) श्रमिकों और बच्चों की स्वास्थ्य और शक्ति के जबरन दुरुपयोग से सरंक्षण; और (f) बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर (अनुच्छेद 39) ।
- समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39 ए) । यह 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सविधान में जोड़ा गया था।
- कार्य करने और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का सरक्षण करना और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार का सरंक्षण (अनुच्छेद 41)
- कार्य स्थल का उचित माहौल और मातृत्व राहत के लिए उचित और मानवीय स्थितियों का प्रावधान करना (अनुच्छेद 42) ।
- उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाना (अनुच्छेद 43 ए) । यह 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।
- ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने और उन्हें सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना (अनुच्छेद 40)
- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 43)।
- नशीले पेयों और खाद्य पदार्थों जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं की खपत को प्रतिबंधित करना (अनुच्छेद 47) ।
- गायों, बछड़ों और अन्य दुग्धों के मारे जाने और मवेशी मवेशियों को मारने और उनकी नस्लों (अनुच्छेद 48) में सुधार करने के लिए।
- सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना (अनुच्छेद 44)
- छह साल की उम्र पूरी होने तक सभी बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना (अनुच्छेद 45) । यह 86 वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित हैं।
- राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका से कार्यकारी को अलग करना (अनुच्छेद 50) ।

byjusexamprep.com

10. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच उचित और सम्माननीय संबंध बनाए रखना; अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता (अनुच्छेद 51) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना।
11. 2002 के 86 वें संशोधन कानून ने अनुच्छेद 45 के विषय को बदल दिया और प्राथमिक शिक्षा को धारा 21 ए के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया। संशोधित निर्देशानुसार राज्य को सभी बच्चों की देखभाल करना और शिक्षा प्रदान आवश्यक होगा, जब तक कि वे छह साल की आयु पूरी नहीं करते है।
12. 2011 के 97 वें संशोधन कानून ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा है। इसके लिए राज्य को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है (अनुच्छेद 43 बी)
13. 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' राज्य के लिए निर्देश हैं।

मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद-51A)

- ये नागरिकों के लिए 11 दिशानिर्देशों का एक समूह है।
- मूल संविधान में मूलभूत कर्तव्यों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया।
- मूलभूत कर्तव्यों के विचार को पूर्व सोवियत संविधान से लिया गया है और अब ये रूस के पास नहीं है। शायद केवल जापान ही ऐसी एक बड़ा देश है, जिसमें बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा एक विशेष अध्याय है।
- नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। 2002 में, एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।
- इन्हें 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा गठित की गई स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। इसमें केवल 8 मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी जिसके साथ ही साथ आर्थिक दंड भी शामिल था। हालांकि, सरकार ने सजा के प्रावधान को स्वीकार नहीं किया।
- एक नया हिस्सा – 4 A, एक नया अनुच्छेद 51 A को 42 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 के आधार पर जोड़ा गया था। दस कर्तव्यों को 51 A में जोड़ा गया था। वर्तमान में ग्यारह कर्तव्य हैं।
- 11 वें मौलिक कर्तव्यों को 86 वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।
- मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न है:

(a) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना,

(b) स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना;

(c) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और संरक्षित करना;

byjusexamprep.com

(d) देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए कहा जाये;

(e) धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या आंशिक विविधता से आगे बढ़कर भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना;

(f) देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व को समझना और संरक्षित रखना;

(g) जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखना;

(h) वैज्ञानिक मनोवृति, मानवतावादि विचारधारा का विकास और जांच और सुधार की भावना विकसित करना;

(i) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को रोकना;

(j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उपलब्धि के उच्च स्तर पर बढ़े; तथा

(k) छह से चौदह वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह कर्तव्य 86 वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।

भारत के राष्ट्रपति

- अनुच्छेद 52 – भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद 53 – संघ की कार्यपालिका शक्ति: संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका उपयोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा।
- वह भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है।
- हालांकि राष्ट्रपति केवल एकमात्र संवैधानिक प्रधान या टिटुलर प्रमुख, डे जूर प्रमुख या नोमिनल कार्यपालिका प्रधान अथवा प्रतीकात्मक प्रधान होता है।

राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण लेख:

लेख	प्रावधान
Article 52	भारत के राष्ट्रपति
Article 53	संघ की कार्यकारी शक्ति
Article 54	राष्ट्रपति का चुनाव

Article 55	राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका
Article 56	कार्यकाल
Article 57	पुन: चुनाव के लिए पात्रता
Article 58	राष्ट्रपति के कार्यालय की योग्यताएँ
Article 59	राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें
Article 60	राष्ट्रपति द्वारा शपथ और पुष्टि
Article 61	महाभियोग की प्रक्रिया

राष्ट्रपति का चुनाव

- राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्न शामिल होंगे:
    - चयनित सांसद
    - राज्यों के चयनित विधायक
    - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 1.06.1995 से प्रभावी) और संघशासित क्षेत्र पुडुचेरी के चयनित विधायक।
- इस प्रकार, संसद और विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
- अनुच्छेद 55 में चुनाव के तौर-तरीके के बारे में बताया गया है और इसमें संविधान के अनुसार एकरूपता एवं राष्ट्रभर से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अत: सांसद और विधायक अपने प्रतिनिधित्व के आधार पर मत देते हैं।
- चुनाव का आयोजन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है और यह मतदान गुप्त बैलेट द्वारा किया जाता है।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निपटारे का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है।
- चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी एवं संचालन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है।
- कार्यकाल (अनुच्छेद 56) और पुर्ननिर्वाचन (अनुच्छेद 57)
- कार्यकाल – 5 वर्ष।
- त्यागपत्र उप-राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है।
- राष्ट्रपति कई कार्यकाल के लिए पुर्ननिर्वाचन के लिए पात्र होता है।
- योग्यता (अनुच्छेद 58), शर्तें (अनुच्छेद 59) एवं शपथ (अनुच्छेद 60)

पात्रता

- भारत का नागरिक हो,
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
- लोकसभा का सांसद चुने जाने की पात्रता रखता हो

byjusexamprep.com

- किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- राष्ट्रपति संसद अथवा किसी विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई सदस्य निर्वाचित होता है, तो उसकी सीट को रिक्त मान लिया जाता है।
- चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक अवश्य होने चाहिए।
- शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है यदि वह अनुपस्थित है, तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
- सामग्री, भत्ते और विशेषाधिकार आदि संसद द्वारा निर्धारित किए जाएगें और उसके कार्यकाल में इनमें कोई कमी नहीं की जाएगी।
- राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से छूट मिलती है। उसे गिरफ्तार अथवा जेल में बंद नहीं किया जा सकता है। हांलाकि, दो महीनों के नोटिस के बाद, उसके कार्यकाल में उसके खिलाफ उसके व्यक्तिगत कार्य के सबंध में दीवानी मामले चलाये जा सकते हैं।

राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61)

- संवैधानिक उपबंध द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से औपचारिक रूप से हटाया जा सकता है।
- यह 'संविधान के उल्लंघन करने पर' महाभियोग का प्रावधान है। हांलाकि, संविधान में कहीं भी इस शब्द का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।
- यह आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। हांलाकि, इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को लाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है।
- साथ ही, नोटिस पर उस सदन जिसमें यह प्रस्ताव लाया गया होता है, के कुल सदस्यों के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।
- उस सदन में विधेयक के स्वीकृत होने के बाद, महाभियोग विधेयक को उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत में अवश्य ही पारित कराया जाना चाहिए।
- इसके बाद विधेयक दूसरे सदन में जायेगा जो आरोपो की जांच करेगा तथा राष्ट्रपति के पास ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा।
- यदि दूसरा सदन आरोप बनाये रखता है और राष्ट्रपति को उल्लंघन का दोषी पाता है, तथा उस संकल्प को उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति का पद संकल्प पारित होने की दिनांक से रिक्त माना जाता है।
- अत: महाभियोग एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है तथा जबकि संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, परंतु वे महाभियोग प्रक्रिया में पूर्ण हिस्सा लेते हैं। साथ ही, राज्य विधायकों की महाभियोग की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

byjusexamprep.com

कार्यपालिका शक्तियाँ

- उसके नाम से सभी कार्यपालिका कार्य किए जाते हैं। वह भारत सरकार का औपचारिक, टिटुलर प्रमुख या डे जूर प्रमुख होता है।
- वह प्रधानमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
- भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है।
- वह अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है और वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र और किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का निर्णय कर सकता है।

विधायी शक्तियाँ

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रपति अपनी पसंद के स्थान पर वर्ष में कम से कम दो बार संसद के सदनों को बुलाता है।
2. वह 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित करता है।
3. कुछ अधिनियम जिनमें संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है:
    - नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों की सीमा के परिवर्तन का अधिनियम।
    - धन विधेयक
    - वित्त विधेयक
    - राज्यों का वित्तीय संसाधनों के कराधान या वितरण से संबंधित अधिनियम।
    - राज्य विधेयक जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना चाहता है।

न्यायिक शक्तियाँ

राष्ट्रपति के पास दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमादान, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण,विराम करने की शक्तियां हैं।

- क्षमादान (Pardon): यह अपराधी को सभी वाक्यों और सज़ा से मुक्त करता है।
- प्रविलंबन (Reprieve): इसका अर्थ है सजा के निष्पादन का एक अस्थायी निलंबन।
- परिहार (Remission): इसके तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किये बिना दंड की मात्र को कम कर दिया जाता है।
- विराम (Respite): यह कुछ विशेष मामलों में कम सजा देने का कारण बनता है। जैसे गर्भवती महिला के मामले में
- लघुकरण (Commutation): इसके तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए दंड को कम कर दिया जाता है।

नोट: राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जहाँ सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो और जहां दंड मौत की सजा हो। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति इन दोनों मामलों तक विस्तारित नहीं है।

वीटो शक्ति

भारत के राष्ट्रपति के पास निम्न तीन वीटो शक्तियाँ होती हैं:

byjusexamprep.com

- पूर्ण वीटो – विधेयक पर अपनी अनुमति को रोके रखना। इसके बाद विधेयक समाप्त हो जाता है और एक अधिनियम नहीं बन पाता है। उदाहरण – 1954 में, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपनी मंजूरी रोके रखी थी। तथा, 1991 में, श्री आर. वेंकटरमन ने सांसदों के वेतन, भत्ते विधेयक पर अपनी मंजूरी रोक दी थी।
- निलंबित वीटो – विधेयक को पुर्नविचार के लिये भेजना। 2006 में, राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने लाभ के पद विधेयक पर निलंबित वीटो का प्रयोग किया था। हांलाकि, राष्ट्रपति विधेयक पर विधायिका के पुर्नविचार के लिये केवल एक बार ही विधेयक लौटा सकताहै।
- पॉकेट वीटो – राष्ट्रपति को भेजे गए किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करना। संविधान में ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंदर राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी अनुमति अथवा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अत: उसके पास अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में 'बिग्गर पॉकेट' है। 1986 में, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो लगाया था।
- ध्यान दें: राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कोई वीटो शक्ति नहीं है। वह ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने के लिये बाध्य है।

भारत के उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण लेख:

लेख	प्रावधान
Article 63	भारत के उपराष्ट्रपति
Article 66	उपराष्ट्रपति का चुनाव
Article 67	कार्यकाल
Article 69	उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और पुष्टि

भारतीय संविधान के भाग पांच में पहला अध्याय (कार्यकारी) भारत के उप-राष्ट्रपति के कार्यालय के बारे में चर्चा करता है।

- ❖ भारत के उप-राष्ट्रपति का ऑफिस देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।
- ❖ राज्यसभा के पहले अध्यक्ष - डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन
- ❖ बशर्ते कि किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह राज्यों के परिषद के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और किसी भी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा जो अनुच्छेद 97 के तहत राज्यों की परिषद के अध्यक्ष को देय है।
- ❖ यह V.P का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वह भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, महाभियोग, इस्तीफे या अन्यथा के मामले में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। हालाँकि, वह

BYJU'S EXAM PREP
BYJU'S EXAM PREP

केवल छह महीने (प्रश्न पूछे जाने) की अधिकतम अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके भीतर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना है।

- V.P को राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता आदि तब मिलता है जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं।
- राज्य सभा के चेयरपर्सन के वेतन, वेतन आदि का उल्लेख भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है।

उप-राष्ट्रपति का चुनाव

- भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक चुनावी इकाई में चुने गए: संसद के दोनों सदन (लोकसभा और राज्य सभा) से चुने गए और नामांकित सदस्य द्वारा किया जायेगा।
- भारत के उपराष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाता है।
- उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है।
- उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाने वाले उम्मीदवार को एक निश्चित वोटों की संख्या प्राप्त करनी होती है।
- चुनावी इकाई के प्रत्येक सदस्य को एक मतपत्र दिया जाता है और उम्मीदवारों के नामों के आधार पर उनकी वरीयता को इंगित करनी होती है।
- पहले गिनती में, यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक कोटा सुरक्षित करता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। अन्यथा, प्रस्ताव में वोटों का स्थानांतरण होता है (इनमें सबसे कम मत प्राप्त किये उम्मीदवार के मतों को रद्द करके उसके लिए मतदान करने वालों की दूसरी वरीयता के लिए उनका मत गिना जाता है।) और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक आवश्यक कोटा प्राप्त कर कर ले|
- उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्ययालय का है।

उपराष्ट्रपति के लिए पात्रता मानदंड

- उसे भारत का नागरिक होना चाहिए
- उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
- उसे राज्य सभा के सदस्य के लिए योग्य होना चाहिए
- संघ, राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के तहत लाभ का कोई कार्यालय नहीं रखता है।
- हालांकि, इस प्रयोजन के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एक राज्य के राज्यपाल और संघ या एक राज्य के मंत्री को लाभ का पद धारण करने के लिए नहीं रखा जाता है। (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा कार्यालय है जो अपने रहने वाले को वित्तीय लाभ या लाभ प्राप्त करने का अवसर देगा)।

उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया

- उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित राज्य सभा के एक प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है।
- उपराष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देने की जरूरत है।
- उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू नहीं की जा सकती।

संसद (अनुच्छेद 79-122)

- संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है।
- लोकसभा निम्न सदन (प्रथम चेम्बर या प्रसिद्ध सदन) है तथा राज्यसभा उच्च सदन (द्वितीय चेम्बर अथवा बुजुर्गों का सदन) है।

राज्यसभा का संयोजन

- राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (अप्रत्यक्ष रूप से चयनित) के प्रतिनिधि होते हैं और शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
- वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य राज्यों का , 4 सदस्य संघशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
- संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मध्य सीटों के बंटवारे से संबंधित है।
- राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का चयन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है।
- ध्यान दें: 87वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जनसंख्या का निर्धारण 2001 जनगणना के आधार पर किया जाएगा।

लोकसभा का संयोजन

- लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित है। इनमें से, 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और शेष 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं।
- वर्तमान में, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है।
- लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है।
- संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है।

byjusexamprep.com

पात्रता

(a) भारत का नागरिक हो

(b) राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।

(c) वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता रखता हो। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार)

सांसद चुने जाने के लिए अपात्र होने के लिए

(a)यदि वह संघ अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद हो।

(b)यदि वह पागल हो गया हो अथवा न्यायालय द्वारा पागल करार दे दिया गया हो।

(c)यदि वह दिवालिया हो गया हो।

(d)यदि वह भारत का नागरिक न हो अथवा उसने स्वैच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति उसकी निष्ठा का संज्ञान होता हो।

(e)यदि वह संसद द्वारा बनाए किसी कानून (आर.पी.ए 1951) के तहत अयोग्य करार दे दिया गया हो।

- संविधान यह भी निर्धारित करता है कि यदि कोई व्यक्ति दसवीं अनुसूची के तहत प्रावधानों के अंर्तगत दल-बदल के आधार पर अयोग्य करार दिया जाता है तो उसे संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा।

नोट: दसवीं अनुसूची के तहत एक सांसद को अयोग्य ठहराया जा सकता है, यदि:

- वह स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है।
- यदि वह अपनी पार्टी(जब तक पार्टी 15 दिनों के भीतर उसके कार्यों की निंदा नहीं करती) द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करने से बचता है।
- एक स्वतंत्र सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है यदि वह अपने चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- दोहरी सदस्यता: कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है।
- कोई सदन किसी सदस्य की सीट को तब रिक्त घोषित कर सकता है जब वह सदस्य सभापति की मंजूरी लिए बिना सदन की बैठकों से लगातार 60 दिनों के लिए अनुपस्थित रहे।

लोकसभा अध्यक्ष

- अध्यक्ष का चयन लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से (प्रथम बैठक के पश्चात शीघ्र अति शीघ्र) किया जाता है। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
- अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है और उसे लोकसभा सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प (रेजोलूशन) द्वारा हटाया जा सकता है, हांलाकि इसके लिए उसे 14 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक है।

byjusexamprep.com

- वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है जिसका आवाहन राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के मध्य अंतर को दूर करने के लिए किया जाता है।
- वह किसी विधेयक के धन विधेयक होने अथवा न होने का निर्णय करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।
- उसे सामान्य मतदान करने का अधिकार नहीं है परंतु मतों में समानता होने पर उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। जब अध्यक्ष को हटाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, तो वह लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकता है तथा बोल सकता है उसे मत देने का भी अधिकार होता है लेकिन निर्णायक मत देने का नहीं। ऐसी स्थिति में वह अध्यक्षता नहीं कर सकता है, उसे हटाने के प्रस्ताव को केवल पूर्ण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है और प्रस्ताव पर केवल तभी विचार किया जायेगा जब उस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो।
- जी. वी. मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे।
- लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़ का था।
- ध्यान दें: इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने वाले स्पीकर प्रो टेम का भी एक पद होता है। वह प्राय: अंतिम लोकसभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है और वह आगामी लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे शपथ दिलाई जाती है।

लोकसभा उपाध्यक्ष

- अध्यक्ष के समान, लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों के मध्य किया जाता है।
- उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। पद से हटाने की प्रक्रिया अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया के समान है और वह लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है।
- मदाभुषी अनंतशयनम आयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे।
- वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता करता है।

प्रो-टेम स्पीकर

1. जैसे ही एक नई लोकसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रपति एक प्रो-टेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, जो आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं।
2. उनके कार्यों में नए सभापति को शपथ दिलाना और सभापति के चुनाव की अध्यक्षता करना शामिल है।

भारत के महान्यायवादी

1. महान्यायवादी संसद या मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, और वह मतदान नहीं कर सकता।
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है।

byjusexamprep.com

3. वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद पर बने रहते हैं।

संसद सत्र

संसद का एक 'सत्र' किसी सदन की प्रथम बैठक और उसके अवसान (लोकसभा के संदर्भ में भंग करने) के मध्य की समयावधि है। किसी सदन के अवसान और उसके पुर्नगठन के मध्य की अवधि को सत्र अवकाश कहते हैं। प्राय: एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं। बजट सत्र सबसे लंबा और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है।

(1) बजट सत्र (फरवरी से मई)

(2) मानसून सत्र (जुलाई से सितम्बर) और

(3) शीतकालीन सत्र (नवम्बर से दिसम्बर)

संसद के सत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द:

1. सत्रावसान: सदन के सत्र को राष्ट्रपति द्वारा "सत्रावसान आदेश" नामक एक आदेश द्वारा समाप्त किया जाता है।
2. अनिश्चित काल के लिए स्थगित: इसका अर्थ है कि अगली बैठक की तिथि को निर्दिष्ट या तय किए बिना सदन की बैठक की समाप्ति। ऐसा आदेश सदन के पीठासीन आदेश द्वारा दिया जाता है।
3. त्रिशंकु संसद: जब किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत न हो।
4. गणपूर्ति: सदन का कार्य करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या आवश्यक है। सदन का कार्य संचालित करने के लिए कम से कम सदयों का एक-दसवां भाग मौजूद होना चाहिए।
5. तारांकित और अतारांकित प्रश्न: तारांकित प्रश्न वह होता है जिसमें एक सदस्य मौखिक उत्तर की इच्छा रखता है, और एक गैर-तारांकित प्रश्न वह होता है, जिसमें लिखित उत्तर पूछने वाले द्वारा वांछित होता है।
6. गिलोटिन: जब समय की कमी के कारण अनुदान की मांगों को मतदान देने के लिए रखा जाता है, चाहे उन पर अंतिम दिन सदन में चर्चा की जाए या नहीं, इसे गिलोटिन कहा जाता है।

अधिनियम के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु:

1. धन और वित्त अधिनियम राज्यसभा में पेश नहीं किए जा सकते।
2. अनुच्छेद 3 के तहत धन, वित्त और एक साधारण विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. संवैधानिक संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है।
4. राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए धन विधेयक वापस नहीं भेज सकता है, वह धन विधेयक के लिए अपनी सहमति देगा। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है।
5. धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए दो सदनों की संयुक्त बैठक हेतु कोई प्रावधान नहीं है। (अब तक, भारत के संसद के संयुक्त सत्र को केवल तीन विधेयकों के लिए बुलाया गया है जो संयुक्त सत्रों में पारित किए गए हैं: दहेज प्रताड़ना अधिनियम 1961, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978, और आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002।)

संशोधन प्रक्रिया के प्रकार:

1. साधारण बहुमत से:

byjusexamprep.com

सरल बहुमत का अर्थ है उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्य। अर्थात 50% से अधिक। इस विधि के तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है:

- नए राज्यों की स्वीकृति
- राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन।
- संसद द्वारा राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण या उन्मूलन।
- राष्ट्रपति के, राज्यपालों के, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते।
- सदनों के लिए गणपूर्ति
- सत्ता, सांसदों का विशेषाधिकार।
- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।

2. विशेष बहुमत द्वारा:
इसके तहत संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से एक विधेयक पारित किया जाता है। संविधान के सभी अनुच्छेदों को संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लिखित विशिष्ट प्रावधानों को छोड़कर इस विधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

3. राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत से:
इस पद्धति से कुछ संघीय मामलों में संशोधन किया जाता है, इसके तहत विधेयक को विशेष बहुमत के तहत संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है और 50% से अधिक राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। राज्यों के लिए ऐसे विधेयकों की पुष्टि करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है।
निम्नलिखित प्रावधान इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं:

- राष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव का तरीका
- संघ (अनुच्छेद 73) और राज्यों (अनुच्छेद 162) की कार्यकारी शक्ति की सीमा
- संघ न्यायपालिका
- उच्च न्यायालय
- केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध
- 7वीं अनुसूची
- संविधान के संशोधन से सम्बंधित प्रावधान (अनुच्छेद 368)

महत्वपूर्ण संसदीय वित्त समितियाँ:

1. लोक लेखा समिति:

- लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्य सभा के 7 सदस्य होते हैं।
- सदस्यों के कार्यालय का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं है।
- समिति जाँच करती है: संसद द्वारा प्रदत्त रकमों के विनियोग को दर्शाने वाला खाता, भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय खाते, सीएजी की रिपोर्ट।

2. प्राक्कलन समिति:

byjusexamprep.com

- प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं- सभी लोकसभा से होते हैं-जो प्रत्येक वर्ष लोकसभा से अपने सदस्यों के बीच आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल स्थानान्तरण मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं।
- कार्य: इसका कार्य यह परिक्षण करना है कि धनराशि अच्छी तरह से अनुमानों में निहित नीति की सीमाओं के भीतर रखी गई है या नहीं तथा यह अनुमान लगाने के लिए कि संसद को किस रूप में अनुमान प्रस्तुत किया जाएगा।

3. सार्वजनिक उपक्रमों की समिति

- इस समिति में लोकसभा से चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं।
- कार्य: सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करने के लिए, सीएजी की रिपोर्ट, तथा ऐसे मामलों की भी जांच कर सकती हैं, जिन्हें सदन या सभापति द्वारा संदर्भित किया गया हो।

ऐसे प्रावधान जिनके तहत संसद राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है:

1. अनुच्छेद 249: यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित के आधार पर कम से कम 2/3 बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित करती है, तो यह संसद को राज्य के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति दे सकता है। ऐसा कानून 1 वर्ष के लिए हो सकता है लेकिन किसी भी समय इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। संकल्प के प्रवृत्त न रहने के पश्चात् छह मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक प्रभावी नहीं रहेगी।
2. अनुच्छेद 250: यदि अनुच्छेद 352 के तहत एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो संसद को राज्य सूची में सभी 61 विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।
3. अनुच्छेद 252: यदि 2 या अधिक राज्यों के विधायक संसद से राज्य के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हैं, तो संसद ऐसा कर सकती है। हालाँकि, ऐसे कानून में संसोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। जैसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972।
4. अनुच्छेद 253: संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करने के लिए राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है, जिसमें भारत एक पार्टी है।
5. अनुच्छेद 356: यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो संसद द्वारा राज्य की विधायिका की शक्ति का प्रयोग किया जाता है।

संविधान में आपातकालीन प्रावधान:

संविधान में 3 तरह के आपातकाल का उल्लेख है:

1. राष्ट्रीय आपातकाल- युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के कारण आपातकाल (अनुच्छेद 352)।
    - सशस्त्र विद्रोह शब्द को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत "आंतरिक अशांति" में बदल दिया गया।
    - अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है।
    - अवधि: प्रारंभ में 1 महीने, जिसके दौरान इसे संसद द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना होता है। यदि संसद उद्घोषणा को मंजूरी देती है, तो यह 6 महीने तक लागू रहता है, इसे किसी भी समय स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 6 महीने से अधिक नहीं।

byjusexamprep.com

- निरसन: उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है, इसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, यदि लोकसभा के 1/10 से कम सदस्य राष्ट्रपति के सत्र में मौजूद न होने पर कोई नोटिस जारी नहीं करते हैं, तो आपातकाल को रद्द कर दिया जाता है, तो उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अगले 14 दिनों में लोकसभा की एक विशेष बैठक आयोजित की जाती है।
- प्रभाव: प्रशासन एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। संसद राज्य सूची में विषयों पर कानून बना सकती है।
- मौलिक अधिकारों पर प्रभाव:
  - अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है (सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं) तो अनुच्छेद 19 के तहत छह एफआर(FRs) स्वत: निलंबित हो जाते हैं।
  - अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति, युद्ध के आधार या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किए जाने पर किसी भी अन्य एफआर के संचालन को निलंबित कर सकता है।
  - हालाँकि, अनुच्छेद 20 के तहत एफआर (अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

2. राष्ट्रपति शासन: राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल (अनुच्छेद 356)।
   - राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के साथ या उसके बिना उद्घोषणा करता है।
   - राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्तियों को नहीं मान सकते।
   - अवधि: शुरू में 2 महीने के लिए, संसद की मंजूरी के बाद- 6 महीने। एक बार में यह अधिकतम एक वर्ष के लिए लागू हो सकता है। इसे वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है लेकिन निम्नलिखित मामलों में 3 वर्ष से अधिक नहीं:
     - अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल,
     - यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित करता है कि संबंधित राज्य में चुनाव कराने में कठिनाई है।
   - प्रभाव:
     - सीएम की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद खारिज की जाती है।
     - विधानसभा कानून बनाने में असमर्थ है।
     - राज्य के लोगों के एफआर(FRs) पर कोई प्रभाव नहीं है।

3. वित्तीय आपातकाल: अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जाती है। यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा हुआ है।
   - अवधि: प्रारंभ में 2 महीने के लिए और संसद की मंजूरी के बाद यह राष्ट्रपति द्वारा निरस्त होने तक लागू रहता है।
   - प्रभाव:
     - केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों के बारे में निर्देश दे सकती है।

byjusexamprep.com

- राष्ट्रपति सरकारी सेवा में सभी व्यक्तियों के वेतन को कम करने के लिए राज्यों से कह सकते हैं।
- राज्यों के सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने हेतु कहा जा सकता है।
- राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते को कम करने का निर्देश भी दे सकते हैं

भारत की न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जनवरी 1950 को कार्य करना शुरू किया| इससे पहले भारत में संघीय न्यायालय कार्यरत था, जिसे 1935 की भारतीय सरकार के अनुसार बनाया गया था|
- संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार-क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं इत्यादि के बारे में बताया गया है|
- वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 न्यायाधीशों (मुख्य न्यायाधीश सहित) पर है।
- शुरुवात में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को 8 निर्धारित किया गया था जिसमे एक मुख्य न्यायाधीश एवं सात अन्य न्यायाधिश थे|
- नियुक्ति- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है| मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से सलाह लेने के बाद की जाती है जिन्हें वे आवश्यक समझें| अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है| मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह अनिवार्य होती है|
- 2015 में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकारातीत घोषित किया गया था और इसलिए ऊपर वर्णित कोलेजियम व्यवस्था आज भी अस्तित्व में है।
- योग्यता- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए:

(i) वह भारत का नागरिक होना चाहिए|

(ii) (a) वह पांच वर्षों के लिए किसी एक ही उच्च-न्यायालय या अन्य उच्च-न्यायालयों में कार्यरत होना चाहिए; या

(b) वह दस वर्षों के लिए किसी एक ही उच्च-न्यायालय या अन्य उच्च-न्यायालयों में वकील रह चूका हो; या

(c) वह राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश होना चाहिए|

शपथ- मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है|

byjusexamprep.com

- न्यायाधीशों का कार्यकाल –

  A. इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है|

  B. वह राष्ट्रपति को पत्र लिख कर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकते हैं|

  C. इन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है|
- न्यायाधीशों का निष्कासन- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से कार्यालय से हटाया जा सकता है| हालांकि वह ऐसा तब कर सकते हैं जब उन्हें वर्तमान सत्र में संसद द्वारा एक अध्यादेश प्राप्त होता है| यह अध्यादेश सांसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए – इसके लिए कुल बहुमत उस सदन के सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई से कम नहीं होना चाहिए| प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता न्यायाधीशों के निष्कासन के मुख्य कारण हो सकते हैं|
- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान ही है|

उच्च न्यायालय

- वर्तमान में देश में 24 उच्च न्यायालय हैं जिनमे से तीन उच्च न्यायालय उभय-निष्ठ हैं| सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा केन्द्र शासित प्रदेश है जिसका (1966 से) अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है| अन्य केंद्रशासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।|
- सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या लचीली होती है और राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष कार्य की मात्रा के आधार पर निर्णय लिया जाता है।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है| उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल की सलाह से नियुक्त किया जाता है| अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु, सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी ली जाती है| दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होने की स्थिति में, सभी सम्बन्धित राज्यों के राज्यपालों की सलाह भी राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है|
  - मुख्य न्यायाधीश की राय की अनुरूपता के बिना कोई भी नियुक्ति नहीं की जा सकती।
  - अनुच्छेद 222 के तहत, मुख्य न्यायाधीश (जो सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है, जहाँ भी स्थानांतरण होता है) के परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित कर सकता है।
  - मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रदान की गई राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है।

- न्यायाधीशों की योग्यता: एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए उसमे निम्न योग्यताएं होनी चाहिए:

  A. वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए| B.

  (a) उसका भारत में दस साल तक के लिए एक न्यायिक कार्यालय होना चाहिए| या

byjusexamprep.com

(b) वह दस वर्षों के लिए उच्च न्यायालय या न्यायालयों का वकील रह चुका हो|

- शपथ: न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा इस उद्देश्य हेतु नियुक्त किये गए किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलवाई जाती है|

- न्यायाधीश का कार्यकाल:

A. उसका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है|
B. वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है|
C. उसे उसके कार्यालय से राष्ट्रपति द्वारा संसद की सलाह पर हटाया जा सकता है|
D. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने पर या किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित होने पर भी न्यायाधीश को अपना वर्तमान पद छोड़ना पड़ता है|
E. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता राज्य की समेकित निधि से लिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की समेकित निधि से ली जाती है।

नोट:

- उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल तभी अधिकार जारी कर सकता है जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने के लिए बाध्य है, जबकि उच्च न्यायालय अपने विवेक पर रिट जारी करते हैं।

राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य परिषद् के मंत्री

राज्यपाल

राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण लेख:

लेख	प्रावधान
Article 153	राज्यों के लिए राज्यपाल
Article 155	राज्यपाल की नियुक्ति
Article 156	राज्यपाल के पद का कार्यकाल
Article 157	राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता
Article 158	कार्यालय की शर्तें
Article 159	राज्यपाल द्वारा शपथ

- राज्यपाल राज्य स्तर पर क़ानूनी तौर पर एक कार्यकारी प्रमुख होता हैं। उसका पद केंद्र के राष्ट्रपति के समान होता है।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

byjusexamprep.com

- राज्यपाल को किसी एक राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप में नियुक्त किया जाता हैं। राज्यपाल के पद के लिए एक व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए:
  (a) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
  (b) उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  (c) वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- राष्ट्रपति की तरह, राज्यपाल भी कई प्रकार की प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार रखता हैं। अपने कार्यकाल के दौरान, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती चाहे वह उसके निजी कार्यों से सम्बंधित ही क्यों नहीं हो।
- शपथ – राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिती में उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलायी जाती है।
- राज्यपाल का कार्यकाल पाँच साल के लिए होता है। वह राष्ट्रपति की सहमती तक अपने पद पर बना रहता है और उन्ही को अपना इस्तीफा सौंपता है।
- वह किसी राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल की सहमती तक अपना पद ग्रहण करता हैं।
- वह राज्य के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायधीश के समान आधार और समान प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है।
- वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। हालांकि, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, न कि राज्येपाल द्वारा।
- वह राज्य की विधान सभा के सदस्यों में से 1/6 को नामित करता हैं।
- राज्य विधानमंडल सत्र स्थगित होने की स्तिथि में वह एक अध्यादेश को लागू कर सकता हैं। अध्यादेश को राज्य विधानसभा द्वारा पुन: सौंपे जाने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।। वह किसी भी समय एक अध्यादेश (अनुच्छेद 213) को निरस्त कर सकता हैं।
- वह किसी मामले के संबंध में किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा, निलंबित करने, बचाव करने और हटाने के लिए माफ़ी, राहत और छूट दे सकता है और राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार कर सकता है। (अनुच्छेद 161)

अनुच्छेद 371:

कुछ राज्यपालों को अनुच्छेद 371 से 371J के तहत कुछ विशेष जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। ऐसे विशेष राज्य और संबंधित लेख नीचे सूचीबद्ध हैं:

Article	राज्य
Article 371	गुजरात और महाराष्ट्र
Article 371A	नागालैंड
Article 371B	असम

byjusexamprep.com

Article 371C	मणिपुर
Article 371D and 371E	आंध्र प्रदेश
Article 371F	सिक्किम
Article 371G	मिजोरम
Article 371H	अरुणांचल प्रदेश
Article 371I	गोवा
Article 371J	कर्नाटक

मुख्यमंत्री और राज्य परिषद के मंत्री

- मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है। वह सरकार का प्रधान प्रमुख होता है।
- मुख्यमंत्री सहित राज्य के कुल मंत्रियों की संख्या, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से भी कम नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
- राज्य विधानसभा की किसी भी सदन का कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी पार्टी से सम्बंधित हो यदि दलबदल में लिप्त होने के कारण बर्खास्त किया जाता है तो उसे मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। यह प्रावधान भी 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।

राज्य विधानमंडल का संगठन

- भारत के अधिकांश राज्यों में एक सदनी विधानमंडल है तथा सात राज्यों में द्वसदनी विधानमंडल है। ये राज्य है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक।
- विधानपरिषद ऊपरी सदन है (इसे सेकंड चेम्बर या हाउस ऑफ़ एल्डर्स भी कहते है), जबकि विधानसभा निचला सदन है (इसे फर्स्ट चेम्बर या पोपुलर हाउस भी कहते है) । केवल दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमे विधानसभा हैं।

राज्य विधानसभा की संरचना

- विधानसभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राज्य की जनसँख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गयी है। हालांकि, सिक्किम के सम्बन्ध में यह संख्या 32 है; और गोवा और मिजोरम में यह 40 है।
- विधान परिषद् के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद् के सदस्यों की अधिकतम संख्या उसी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 पर निर्धारित की गयी है।

byjusexamprep.com

इसकी न्यूनतम संख्या 40 तय की गई है। लेकिन जम्मू और कश्मीर एक अपवाद है जहाँ यह संख्या 36 हैं।

- चुनाव प्रक्रिया: विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या का

(a) 1/3 राज्य में स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं आदि के सदस्यों द्वारा चुना जाता हैं

(b) 1/12 राज्य में रह रहे और तीन साल पुरे कर चूके स्नातकों द्वारा चुना जाता है

(c) 1/12 राज्य में तीन साल पुरे कर चुके शिक्षकों जिनकी नियुक्ति माध्यमिक विद्यालय से निचले विद्यालय में नहीं रही हो, द्वारा चुना जाता हैं।

(d) 1/3 राज्य के विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों के बीच से चुना जाता है जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और

(e) शेष राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नामित किये जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा में विशेष योगदान या व्यावहारिक अनुभव है।

- इस प्रकार, एक विधानपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 5/6 भाग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है और 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। सदस्यों को एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार चुना जाता है।

दोनो सदनों की कार्यावधि

- लोकसभा की तरह, विधानसभा भी एक स्थायी सदन नहीं है। विधानसभा की कार्यावधि आम चुनाव के बाद पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष तक होती है।
- राज्यसभा की तरह, विधान परिषद् भी एक स्थायी सदन है, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवा निर्वीत होते हैं।
- विधानसभा की सदस्यता
- राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में नामित होने के लिए संविधान में निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं:

(a) वह भारत का नागरिक हो

(b) वह विधान परिषद् के सदस्य के रूप में नामित होने के लिए उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और विधानसभा के सदस्य के रूप में नामित होने के लिए उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

- उसे RPA, 1951 के प्रावधानों के अनुसार दोषी नहीं पाया जाना चाहिए। दलबदल मामले में भी किसी सदस्य को दल बदल विरोधी अधिनियम (10वीं अनुसूची) के अनुसार अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- इसके अलावा, वह दिमागी रूप से अवस्थ नहीं होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए; वह दिवालिया घोषित नहीं हो।

byjusexamprep.com

राज्य विधानसभा के पीठासीन अधिकारी

- विधान मंडल के प्रत्येक सदन के पास अपना पीठासीन अधिकारी होता है। प्रत्येक विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और प्रत्येक विधान परिषद में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्षों के एक पैनल को और विधानपरिषद के लिए उपाध्यक्षों के एक पैनल को भी नियुक्त किया जाता है।
- विधानसभा में सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष को चुना जाता है।
- अध्यक्ष की तरह, उपाध्यक्ष भी विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। उसका चुनाव अध्यक्ष के चुनाव के बाद तय होता है।
- विधानपरिषद के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के बीच से ही किया जाता है।
- स्पीकर (अध्यक्ष) तय करता हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और इस पर उसका निर्णय अंतिम होता है।

भारत में स्थानीय सरकार प्रणाली

पंचायती राज व्यवस्था का विकास

भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान राज्य द्वारा 1959 में, नागौर जिले में और उसके बाद आंध्र प्रदेश द्वारा स्थापित की गई थी। तत्पश्चात अधिकांश राज्यों द्वारा इस प्रणाली को अपनाया गया। स्थानीय स्वशासन के बारे में प्रमुख चिंता इसकी वास्तुकला, शक्ति की राशि का भरण-पोषण, वित्त आदि थी। इसके लिए एक विधि तैयार करने के लिए संबंधित केंद्रीय सरकारों द्वारा कई समितियों का गठन किया गया था।
कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ हैं:

- बलवंत राय मेहता समिति, 1957
  इसने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया।

  अशोक मेहता समिति, 1977
  इसने 2-स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया।

  जी वी के राव समिति, 1985
  पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन और 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की।

  एल एम सिंघवी समिति, 1986
  पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग स्थापित करने की भी सिफारिश की।

  थुंगन समिति1989
  पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की।

- गाडगिल समिति,1988

byjusexamprep.com

73वां संशोधन अधिनियम, 1992
इस अधिनियम ने भाग IX को संविधान में जोड़ा है और इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O तक प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें पंचायत की 29 विषयों के साथ 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया।

अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए:

अनुच्छेद	प्रावधान
243A	ग्राम सभा
243B	तीन स्तरीय प्रणाली
243D	सीटों का आरक्षण
243F	योग्यता (न्यूनतम आयु 21 वर्ष)
243I	राज्य वित्त आयोग
243K	राज्य चुनाव आयोग

74वां संशोधन अधिनियम, 1992
इस संशोधन अधिनियम में एक नया भाग IX A डाला गया जो नगर पालिकाओं और नगर पालिका के प्रशासन के साथ कार्य करता है। इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG शामिल हैं। इसने संविधान में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा।

अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण अधिनियम जोड़े गए:

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद 243R	नगर पालिकाओं की संरचना
अनुच्छेद 243S	वार्ड समिति
अनुच्छेद 243Q	अवधि
अनुच्छेद 243T	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण
अनुच्छेद 243V	योग्यता (21 वर्ष)

महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय

byjusexamprep.com

चुनाव आयोग

- संविधान के भाग XV के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है।
- वर्तमान में चुनाव आयोग संस्थान में, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त सम्मिलित हैं।
- उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है, जो भी पहले हो।
- सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे।
- चुनाव आयोग का प्रशासनिक व्यय भारत के समेकित कोष से नहीं लिया जाता है।
- आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामलों में सलाहकार क्षेत्राधिकार है। ऐसे सभी मामलों पर आयोग की राय राष्ट्रपति / राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है।
- राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी के रूप में एक पार्टी की मान्यता की शर्तें निम्नलिखित हैं:

  राष्ट्रीय पार्टी:

  - आम चुनाव में कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें होनी चाहिए।
  - लोकसभा या राज्य विधानमंडल के चुनाव में पार्टी द्वारा 4 लोकसभा जीतने के अलावा कम से कम 4 अलग-अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% मतदान प्राप्त किया हो।
  - एक पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

  राज्य पार्टी:

  - वैध मतदान का कम से कम 6% प्राप्त किया हो और विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीटें जीतीं हों।
  - 6% वैध मतदान और कम से कम 1 लोकसभा सीट सुरक्षित होनी चाहिए।
  - विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीटें या कम से कम 3 सीटें जीतें, जो भी अधिक हो।
  - लोकसभा आम चुनाव में राज्य की प्रत्येक 25 सीटों में से कम से कम 1 जीतें।
  - विधानसभा या लोकसभा चुनावों में कुल वैध मतों का कम से कम 8% सुरक्षित होना।

संघ लोक सेवा आयोग

- संविधान के भाग XIV के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत उल्लेखित (अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है)।

byjusexamprep.com

- यू.पी.एस.सी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल हैं।
- 6 वर्ष का कार्यकाल या सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष, जो भी पहले हो।
- यू.पी.एस.सी का अध्यक्ष (पद संभालने के बाद से), इस पद के बाद भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होता है।

राज्य लोक सेवा आयोग

- राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक चेयरमैन और अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
- 6 वर्ष का कार्यकाल या सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है जो भी पहले हो। वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं।
- चेयरमैन और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने का आधार यू.पी.एस.सी के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने के समान होता है।
- नोट – संविधान के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग (जे.पी.एस.सी) की स्थापना का भी प्रावधान है।
- संबंधित राज्यों की अर्जी पर संसद के अधिनियम द्वारा यू.पी.एस.सी और एस.पी.एस.सी से भिन्न जे.पी.एस.सी की स्थापना की जा सकती है, जो एक संवैधानिक निकाय है, जे.पी.एस.सी एक वैधानिक निकाय है न की संवैधानिक।
- जे.एस.पी.एस.सी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या सेवानिवृत्ति 62 वर्ष तक होती है, जो भी पहले लागू होता हो।

वित्त आयोग

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। इसका गठन प्रत्येक पांच वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है या उससे पहले जैसा उन्हें आवश्यक लगे।
- वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल तब तक होता है जैसा की राष्ट्रपति द्वारा उनके आदेश में निर्दिष्ट होता है। वे पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं।
- हालांकि यह प्रमुख रूप से एक सलाहकार निकाय है और यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों के शुद्ध लाभ के वितरण तथा इस प्रकार की आय से संबंधित हिस्सों को राज्यों के बीच आवंटित करने पर सलाह देता है।
- के.सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और वर्तमान में यह 15वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष एन.के सिंह हैं।

अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग

byjusexamprep.com

- इससे संबंधित उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है।

अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग

- इससे संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338-A में किया गया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

- इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग XVII के अनुच्छेद 350-B में किया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) का एक स्वतंत्र पद होना चाहिए ।
- वह भारतीय ऑडिट और लेखा विभाग का प्रमुख होता है।
- वह आम लोगों के धन का अभिवावक होता है और उसका पुरे देश के दोनों वित्तीय तंत्र केन्द्रीय और राज्य पर नियंत्रण होता है।
- यही कारण है की डॉ. बी.आर. अम्बेड़कर ने कहा था की भारत के संविधान के तहत सी.ए.जी सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा।
- सी.ए.जी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है।
- उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष होती है, जो भी पहले हो।
- उनको राष्ट्रपति द्वारा उनके दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। उनको हटाने का तरीका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है।
- उनके सेवानिवृत होने के बाद या हटाए जाने के बाद वह किसी भी प्रकार के या तो केंद्र या फिर राज्य सरकार के स्तर पर रोजगार के अधिकारी नहीं है।
- सी.ए.जी के कार्यालय के प्रशासनिक व्ययों में उस कार्यालय में काम कर रहे सभी लोगों के वेतन, भत्ते, सेवारत लोगों की पेंशन इत्यादि के लिए भारत की समेकित निधि को चार्ज किया जाता है। इस प्रकार, वे संसद में वोट करने के सम्बद्ध नहीं है।
- वह भारत की समेकित निधि, प्रत्येक राज्य और संघीय राज्य जहाँ पर विधान सभा है, की समेकित निधि से संबंधित सभी एकाउंट्स से किए गए सभी खर्चों का ऑडिट करता है।
- वह भारत की आकस्मिकता निधि से किए गए सभी खर्चों और भारत के पब्लिक अकाउंट साथ ही प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और राज्यों के पब्लिक अकाउंट पर किए गए सभी खर्चों का ऑडिट करता है।
- वह केंद्र के लेखों से संबंधित सभी खर्चों पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो बाद में , रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं (अनुच्छेद 151)।

byjusexamprep.com

- वह राज्यपाल को राज्यों के लेखों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सौंपते हैं, जो, बाद में, रिपोर्ट को विधान सभा में रखते हैं (अनुच्छेद 151)।
- राष्ट्रपति सी.ए.जी द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। लोक लेखा समिति उन्हें जांचती है और अपनी जांच को संसद के समक्ष रखती है।

भारत के अटॉर्नी जनरल

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेखित है।
- देश में सबसे बड़े कानून अधिकारी की पदवी है।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- ए.जी.आई वह होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की पात्रता रखता है।

राज्य के एडवोकेट जनरल

- संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख किया गया है। वह राज्य का उच्च कानून अधिकारी होता है। अतः वह राज्य में भारत के अटॉर्नी जनरल का प्रतिरूप होता है।
- एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य है।

गैर संवैधानिक निकाय

नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग

- यह योजना आयोग (जो शीर्ष-डाउन मॉडल पर आधारित था) को बदलने के लिए सरकार द्वारा 2015 में स्थापित किया गया है।
- यह डाउन-अप मॉडल पर आधारित है।
- यह संपूर्ण भारत के लिए नीति बनाने वाली संस्था है
- आयोग के अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं।
- वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं।
- संचालन परिषद के स्थायी सदस्य- (ए) सभी राज्य के मुख्यमंत्री (बी) दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री (सी) अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर (डी) प्रधान मंत्री द्वारा नामित उपाध्यक्ष

राष्ट्रीय विकास परिषद

- राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी) को पहली पंचवर्षीय योजना (मसौदा रूपरेखा) की संस्तुति पर भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा अगस्त, 1952 में स्थापित किया गया था। योजना आयोग की तरह, यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकाय।

byjusexamprep.com

- एनडीसी में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
    - भारत के प्रधानमंत्री (जो इसके अध्यक्ष/प्रमुख होते हैं)।
    - केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री (1967 से)।
    - सभी राज्यों के मुख्य मंत्री।
    - सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री/ प्रशासक।
    - योजना आयोग के सदस्य।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

- एन.एच.आर.सी एक वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है। इसे संसद द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम अर्थात् मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 1993 में स्थापित किया गया था। इस अधिनियम को 2006 में संशोधित किया गया था।
- निम्नलिखित प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिनियम को मानव अधिकारों के संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 द्वारा संशोधित किया गया था:
    - अब, पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
    - अधिनियम 3 सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए।
    - एनएचआरसी के सदस्य: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।
    - उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को एसएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।
    - कार्यालय की अवधि को 3 वर्ष कम कर दिया गया है या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। पुनर्नियुक्ति की 5 वर्ष की सीमा भी हटा दी गई है।
    - मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले एनएचआरसी के दायरे में आते हैं।
- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री इसके प्रमुख, लोक सभा के सभापति, राज्य सभा के उपाध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, की संस्तुति पर की जाती है। इसके आलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता है।

केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी)

- सी.आई.सी को 2005 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसे सूचना का अधिकार (2005) के प्रावधानों के तहत आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया था। अतः, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है।

byjusexamprep.com

- आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त शामिल नहीं होते हैं।
- उनकी नियुक्त एक समिति जिसमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष के तौर पर और लोक सभा में विपक्षी दलों के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केन्द्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री शामिल होता है, की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- वे सामाजिक सेवा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, मास मीडिया, प्रबंधन, पत्रकारिता, कानून या प्रशासनिक और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभाव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए।
- वे किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश के सांसद या विधायक नहीं होने चाहिए। वे किसी भी अन्य लाभ के पद पर या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए या किसी भी प्रकार का व्यावसाय या किसी पेशे से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए।
- एक संशोधन द्वारा, कार्यालय और भत्तों की अवधि, सूचना आयुक्तों के वेतन को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी)

- CVC (सी.वी.सी) केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी है। इसे केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 1964 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निरोध पर संथानम समिति (1962–64) की संस्तुति पर की गई थी।
- इस प्रकार, वास्ताव में CVC न तो एक संवैधानिक निकाय था और ना ही एक वैधानिक निकाय। सितम्बर, 2003 में, संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून के तहत सी.वी.सी को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया।
- CVC (सी.वी.सी) एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त शामिल नहीं होते हैं।
- इनकी नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख के तौर पर और गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और लोक सभा में विपक्षी दलों के नेता शामिल होते हैं, की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर तथा मोहर सहित जारी अधिपत्र द्वारा की जाती है।
- उनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होता है जो भी पहले लागू होता हो। उनके कार्यकाल के बाद, वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होते हैं।

लोकपाल और लोकायुक्त

- लोकपाल और लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी (ओम्बड्समैन) है, जिसे लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया है।

byjusexamprep.com

- इस अधिनियम में केंद्र में 'लोकपाल' और प्रत्येक राज्य में 'लोकायुक्त' नियुक्त करने का प्रावधान है।
- ये बिना किसी संवैधानिक दर्जे के स्थापित वैधानिक संस्थाएं हैं।
- उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल हैं।

भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का विकास

- पहली बार स्वीडन में सन् 1809 में एक लोकपाल (ओम्बड्समैन) पद स्थापित किया गया था।
- लोकपाल की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रमुख रूप से विकसित हुई।
- यूनाइटेड किंगडम ने इसे सन् 1967 में अपनाया।
- भारत में, इस अवधारणा को पहली बार सन् 1960 के दशक में तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- सन् 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों ने लोक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए निष्पक्ष प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया।
- सन् 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी लोकपाल के प्रावधान की सिफारिश की।
- भारत में लोकपाल विधेयक पहली बार सन् 1968 में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन इसे पारित नहीं किया जा सका और सन् 2011 तक विधेयक को पारित कराने के लिए कुल आठ विफल प्रयास किए गए।
- अंत में, सिविल सोसाइटी से दबाव और सामाजिक समूहों की मांग के फलस्वरूप लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 2013 पारित किया गया।

लोकपाल की संरचना

- लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं।
- अध्यक्ष और आधे सदस्यों का कानूनी पृष्ठभूमि से होने अनिवार्य है।
- 50% सीटें SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों या महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

अध्यक्ष के चयन हेतु मानदंड

- उसे भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।
- वह भ्रष्टाचार विरोधी नीति, कानून, प्रबंधन आदि से संबंधित मामलों में न्यूनतम 25 वर्षों के अनुभव सहित निरपराध अखंडता और उत्कृष्ट योग्यता वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

byjusexamprep.com

- राष्ट्रपति एक चयन समिति के सिफारिश से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करता है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं: -
    - प्रधानमंत्री
    - लोकसभा अध्यक्ष
    - लोकसभा में विपक्ष के नेता
    - भारत के मुख्य न्यायाधीश
    - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित कानूनविद

कार्यकाल

- लोकपाल का अध्यक्ष और उसके सदस्य पांच वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं।
- अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और कार्य की अन्य शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होंगी, और सदस्य का वेतन, भत्ते और कार्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं।
- सभी खर्चों का वहन भारत की संचित निधि से किया जाता है।

लोकपाल के क्षेत्राधिकार और शक्तियां

- लोकपाल का क्षेत्राधिकार सभी समूहों अर्थात A, B, C और D के अधिकारियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों, सार्वजनिक उपक्रमों, संसद सदस्यों, मंत्रियों तक है और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों को छोड़कर प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आते हैं और
- बुरे कार्य के लिए प्रेरित करने, रिश्वत देने, रिश्वत लेने के कार्य में शामिल कोई भी अन्य व्यक्ति लोकपाल के दायरे में आता है।
- यह सभी लोक अधिकारियों के साथ-साथ उनके आश्रितों की संपत्ति और देनदारियों की जानकारी जुटाने का कार्य करता है।
- इसे CBI, CVC आदि जैसी सभी एजेंसियों को निर्देश देने का अधिकार है। यह उन्हें कोई भी कार्य सौंप सकता है। लोकपाल द्वारा दिए गए किसी भी कार्य पर, संबंधित अधिकारी को लोकपाल की अनुमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
- लोकपाल की पूछताछ शाखा के पास एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं।
- लोकपाल को अभियोजन के दौरान भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का भी अधिकार है।
- इसके पास भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े लोक सेवकों के निलंबन या स्थानांतरण का अधिकार है।
- यह केंद्र सरकार से किसी भी मामले की सुनवाई और फैसले के लिए किसी विशेष अदालतों की स्थापना की सिफारिश कर सकता है।

byjusexamprep.com

लोकपाल की कार्यप्रणाली

- लोकपाल केवल शिकायत पर ही काम करता है। यह स्वयं कार्यवाही नहीं कर सकता है।
- शिकायत प्राप्त होने के बाद यह प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकता है।
- लोकपाल की दो प्रमुख शाखएं हैं: जांच शाखा और अभियोजन शाखा।
- लोकपाल अपनी जांच शाखा के माध्यम से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध की प्रारंभिक जांच कर सकता है।
- यह विस्तृत जांच भी कर सकता है। पूछताछ के बाद, यदि व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाता है, तो लोकपाल अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है।

लोकपाल को पद से निष्कासित करने की प्रक्रिया

- लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों को उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। पद से निष्कासित करने के आधार कदाचार, शारीरिक या मानसिक बीमारी, दिवालियापन, पद के अतिरिक्त भुगतान प्राप्त रोजगार हैं।
- लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से निष्कासित करने के लिए याचिका पर संसद के कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। इसके बाद, इसे जांच के लिए उच्चतम न्यायालय भेजा जाएगा।
- जांच के बाद, यदि उच्चतम न्यायालय अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ आरोपों को वैध पाता है और निष्कासन की सिफारिश करता है, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा।

संविधान की मूल संरचना

अवधारणा

- संविधान प्रकृति में जैविक है।यह सतत रूप से निरंतर बढ़ता है क्योंकि यह संविधान की भावना का प्रतीक है।
- भाग XX के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है, यह संसद को अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करने का अधिकार देता है।
- चूंकि संविधान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को बदलने के साथ स्थिर नहीं है, इसलिए समय की माँग के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।
- इसलिए, संसद की संशोधन शक्ति संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करने हेतु सीमित है।
- संविधान के घटक निम्नानुसार हैं:
    - संविधान की सर्वोच्चता
    - कानून के नियम
    - भारतीय राजनीति का संप्रभु, लोकतांत्रिक और रिपब्लिकन स्वरूप
    - कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत
    - संविधान का संघीय चरित्र
    - राष्ट्र की एकता और अखंडता

byjusexamprep.com

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- न्यायिक समीक्षा
- व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा
- सरकार की संसदीय प्रणाली
- मौलिक अधिकारों और डी.पी.एस.पी के बीच संतुलन
- समानता का सिद्धांत
- संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
- संवैधानिक संशोधन शक्ति पर प्रतिबंध
- न्याय तक प्रभावी पहुंच
- युक्तियुक्तता का सिद्धांत
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
- अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ
- अवधारणा कल्याणकारी राज्य जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय शामिल है

- भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

1. अनुच्छेद 1: - संघ का नाम और क्षेत्र
2. अनुच्छेद 3: - नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों का परिवर्तन
3. अनुच्छेद 13: - साथ या में असंगत कानून मौलिक अधिकारों का हनन
4. अनुच्छेद 14: - कानून के समक्ष समानता
5. अनुच्छेद 16: - सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता
6. अनुच्छेद 17: - अस्पृश्यता का उन्मूलन
7. अनुच्छेद 19 : - बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण।
8. अनुच्छेद 21: - जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
9. अनुच्छेद 21A: - प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार
10. अनुच्छेद 25: - अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रचार
11. अनुच्छेद 30: - शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार 12. अनुच्छेद 31 C: - कुछ विशिष्ट सिद्धांतों को प्रभाव देने वाले कानूनों की बचत
13. अनुच्छेद 32: - निधियों सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय
14. अनुच्छेद 38: - लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य
15. अनुच्छेद 40: - ग्राम पंचायतों का संगठन
16. अनुच्छेद 44: - नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
17. अनुच्छेद 45 : - 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान।

byjusexamprep.com

18. अनुच्छेद 46: - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा।
19. अनुच्छेद 50: - कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना।
20. अनुच्छेद 51: - अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और सुरक्षा
21. अनुच्छेद 51A: - मौलिक कर्तव्य
22. अनुच्छेद 72: - कुछ मामलों में क्षमा, निरस्त, प्रेषण या दंड देने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां
23. अनुच्छेद 74: - राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा परामर्श
24. अनुच्छेद 76: - भारत के अटॉर्नी-जनरल
25. अनुच्छेद 78: - राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा कार्य हेतु सूचना प्रदान करना
26. अनुच्छेद 110: - धन विधेयक की परिभाषा
27. अनुच्छेद 112: - वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
28. अनुच्छेद 123: - संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। 29. अनुच्छेद 143: - उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति
30. अनुच्छेद 148: - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
31. अनुच्छेद 149: - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां।
32. अनुच्छेद 155: - राज्यपाल की नियुक्ति
33. अनुच्छेद 161: - क्षमा करने के लिए राज्यपाल की शक्ति, आदि, और सस्पेंड, कुछ मामलों में सजा देने की शक्तियाँ।
34. अनुच्छेद 163: - गवर्नर 35 को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
35. अनुच्छेद 165: -राज्य के एडवोकेट-जनरल जो ब्रिटिश कानून अभी भी भारत में उपयोग किए जाते हैं।
36. अनुच्छेद 167: - राज्यपाल को सूचनाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, आदि। 37. अनुच्छेद 168: - राज्यों में विधानों का संविधान
38. अनुच्छेद 169: - राज्यों में परिषदों के उन्मूलन या निर्माण हेतु विधायिका की शक्तियाँ
39. अनुच्छेद 170: - राज्यों में विधानसभाओं की संरचना
40. अनुच्छेद 171: - राज्यों में विधान परिषदों की संरचना
41. अनुच्छेद 172: - राज्य विधान मंडलों की अवधि
42. अनुच्छेद 173: - राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता
43. अनुच्छेद 174: - राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधि, प्रचार और विघटन
44. अनुच्छेद 178: - विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर
45. अनुच्छेद 194: - अधिवक्ता-जनरल की शक्तियां, विशेषाधिकार, और प्रतिरक्षा।
46. अनुच्छेद 200: - राज्यपाल द्वारा बिलों के लिए आश्वासन (राष्ट्रपति के लिए आरक्षण सहित)
47. अनुच्छेद 202: -राज्य विधानमंडल का 48 वां वित्तीय विवरण।

byjusexamprep.com

48. अनुच्छेद 210: - राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा
49. अनुच्छेद 212 : - अदालतें राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में पूछताछ नहीं करती हैं।
50. अनुच्छेद 213: - राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने की राज्यपाल की शक्ति।
51. अनुच्छेद 214: - राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
52. अनुच्छेद 217: -उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद और पद की शर्तें
53. अनुच्छेद 226: - निश्चित रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति
54. अनुच्छेद 239AA: - दिल्ली संबंध में विशेष प्रावधान।
55. अनुच्छेद 243 B: - पंचायतों का गठन
56. अनुच्छेद 243 C: - पंचायतों की स्थिति
57. अनुच्छेद 243G: - पंचायतों के अधिकार, शक्ति और उत्तरदायित्व
58. अनुच्छेद 243K: - पंचायतों के चुनाव
59. अनुच्छेद 249: -राज्य सूची में कानून बनाने हेतु संसद की शक्ति
60. अनुच्छेद 262: - अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का अनुकूलन
61. अनुच्छेद 263: - एक अंतर-राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान।
62. अनुच्छेद 265: - कानून के प्राधिकार द्वारा नहीं किए जाने वाले कर
63. अनुच्छेद 275: - संघ से कुछ राज्यों को अनुदान
64. अनुच्छेद 280: - वित्त आयोग
65. अनुच्छेद 300: - मुकदमा और कार्यवाही
66. अनुच्छेद 300A: - वे व्यक्ति जिन्हें संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है (संपत्ति का अधिकार)
67. अनुच्छेद 311: - संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों के पद से हटाने, की शक्ति।
68. अनुच्छेद 312: - अखिल भारतीय सेवाएं
69. अनुच्छेद 315: - संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
70. अनुच्छेद 320: - लोक सेवा आयोगों के कार्य
71. अनुच्छेद 323- A: - प्रशासनिक अधिकरण
72. अनुच्छेद 324: - निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
73. अनुच्छेद 330: - लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।
74. अनुच्छेद 335: - सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे

byjusexamprep.com